न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/468

1. मोहन लाल आत्मज धन्ना लाल ।
2. राधेश्याम आत्मज धन्नालाल ।
3. प्रकाशी बाई पुत्री धन्नालाल जाति गुर्जर निवासीगण देवली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी हाल झरनिया की झोंपडियॉ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महावीर सैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.1976 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि ग्राम देवली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की पुराने खसरा नम्बर 29 की 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 541 की 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 542 की 0.74 हैक्टर कुल दो किता की 1.04 हैक्टर भूमि दिनांक 12.06.1976 को अपीलान्ट के पिता धन्ना लाल आत्मज उदा जाति गुर्जर निवासी देवली को आवंटन की गई थी ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.10.1976 के द्वारा आवंटी धन्ना लाल के पक्ष में किया गया आवंटन पटवारी की रिपोर्ट जिसमें अंकित किया कि आवंटी आवंटित भूमि लेना नहीं चाहते, के आधार पर खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.1976 से व्यथित हो अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर आवंटी का आवंटन खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि धन्ना के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई और आवंटी धन्ना की मृत्यु के बाद उसे वारिसान अपीलान्ट के

नाम गैरखतोदारी में दर्ज चली आ रही थी और अपीलान्ट को सुने बिना व नोटिस जारी किये बिना सरसरी तौर पर आवंटन खारिज कर दिया । आवंटी धन्नालाल को आवंटन की बकाया राशि जमा कराने का नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ है । उक्त भूमि पर आवंटी धन्ना अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यु के आद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.1976 निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के पूर्व व उसके पश्चात् अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जबकि अपीलान्ट के पिता व उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट आवंटनशुदा आराजी पर आवंटन के समय से ही काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2017 को हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने के बाबत् कहने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हएु विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम देवली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की पुराने खसरा नम्बर 29 की 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके हाल नये खसरा नम्बर 541 की 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 542 रकबा 0.74 हैक्अर कुल 02 किता की 1.04 हैक्टर भूमि दिनांक 12.06.1976 को अपीलान्ट के पिता धन्न आत्मज उदा को आवंटित कीं गई थी और और नियमानुसार दखल दिया गया था जिस पर अपीलान्ट के पिता काबिज काश्त थे उक्त भूमि को अपीलान्ट के पिता की गैर खातेदारी में दर्ज किया गया । धन्ना की मृत्यु के बाद उनके वारिसान अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । कब्जा अपीलान्टगण का है । अधीनस्थ न्यायालय ने मौका एवं कब्जे की रिपोर्ट मंगवाये बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त किया है । नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 10.06.2015 से उक्त भूमि अपीलान्ट की गैर खातेदारी से सिवायचक खाते दर्ज की गई है जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 11.07.2017 को हुई । अपीलान्टगण को आज तक बेदखल नहीं किया गया है और न ही कोई नोटिस जारी किया गया है । आराजी को काफी मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में खसरा गिरदावरी की नकलें पेश की हैं और धारा 96 सीपीसी के तहत भी प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.1976 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आवंटी ने स्वयं प्रार्थना पत्र दिया था कि वो वादग्रस्त आराजी पर दखल लेना नहीं चाहता है इस

आधार पर आवंटी का आवंटन दिनांक 28.10.1976 को निरस्त किया गया था जिसके खिलाफ अपील सन् 2017 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.1976 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1976 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 29 की 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि धन्ना आत्मज उदा जी को आवंटित की गई है । अतिरिक्त जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 28.10.1976 भी पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार आवंटन निरस्त किया गया है । पत्रावली पर धन्ना लाल का एक प्रार्थना पत्र भी संलग्न है जिसमें यह अंकित किया गया है कि वो इस भूमि को लेने से इंकार करता है । अतः आवंटन खारिज किया जावे । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मोहन, राधेश्याम पिसंरान धन्ना प्रकाशीबाई पुत्री धन्ना ज्याना बाई बेवा धन्न हि0 ब0 गैर खातेदारी में दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न है ।

10. अपीलान्ट ने अपील के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं जिसमें नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 541 एवं 542 कुल 02 किता की 1.04 हैक्टर भूमि अपीलान्टगण के गेर खातेदारी में दर्ज है और इस पर नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 10.06.2015 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने का नोट अंकित है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2071 – 2072, नक्शा ट्रेस और मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियॉ भी संलग्न हैं ।

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.1976 को आवंटन आदेश निरस्त किया गया है और आवंटन निरस्त करने का आधार आवंटी धन्ना लाल के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि आवंटी आवंटित आराजी को लेने से इंकार है । इस प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन खारिज किया गया है । अब अपीलान्टगण जो कि मृतक धन्ना के वारिस हैं, धन्नालाल के द्वारा किये गये कथन के विपरीत कथन करने से स्टोप्ड हैं ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 के खिलाफ वर्ष 2017 में अपील पेश की गई है जो गंभीर अवधि बाधित है । वर्ष 2015 में ही यह आराजी सिवायचक दर्ज हो चुकी थी उसके बाद भी अपील लगभग 02 वर्ष बाद पेश की गई है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण के आधार पर भी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.1976 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 19.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा